

होटल प्रबन्धन संस्थान ग्वालियर
खान-पान तकनीकी एवं पोषण आहार
एयरपोर्ट रोड महाराजपुरा 474005
दूरभाष : 0751.2471477

E-mail ihmgwl@gmail.com
web site www.ihmgwalior.net

'हुनर से रोजगार तक'
(पर्यटन- मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित)
(रोजगार आधारित उदयमिता पाठ्यक्रम)

पाठ्यक्रम का नाम)	अवधि		योग्यता	आयु सीमा
	संस्थान	भारत सरकार		
विविध पाक कला Multi Cuisine Cook(QP:THC/Q3006	320 घण्टे	200 घण्टे (कार्यस्थल पर प्रशिक्षण)	कक्षा 8वी उत्तीर्ण	18 वर्ष
खान-पान सेवा Food & Beverage Service (QP:THC/Q0301	300 घण्टे	200 घण्टे (कार्यस्थल पर प्रशिक्षण)	कक्षा 10वी उत्तीर्ण	18 वर्ष
कमरे का परिचर Room Attendant (QP:THC/Q0202	300 घण्टे	200 घण्टे (कार्यस्थल पर प्रशिक्षण)	कक्षा 5वी उत्तीर्ण	18 वर्ष
प्रथम कार्यालय साथी Front office Associate (QP:THC/Q0102	340 घण्टे	200 घण्टे (कार्यस्थल पर प्रशिक्षण)	कक्षा 12वी उत्तीर्ण	18 वर्ष

संस्था में संचालित पाठ्यक्रम – होटल प्रबंधन, खान पान तकनीकी और व्यावहारिक पोषण आहार

उम्मीदवार का चयन आवेदन(संलग्न दस्तावेज) के परीक्षण और व्यक्तिगत साक्षातकार के द्वारा किया जावेगा । उस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है ।

चयनित उम्मीदवार को अधोलिखित मानदेय प्रदाय किया जावेगा :-

- (1) विविध पाक कला पाठ्यक्रम हेतू रूपये 2000/-
- (2) खान पान कला पाठ्यक्रम हेतू रूपये 1500/-
- (3) कमरा परिचर पाठ्यक्रम हेतू रूपये 1500/-
- (4) प्रथम कार्यालय साथी पाठ्यक्रम हेतू रूपये 1500/-

विशेष प्रशिक्षण अवधि में 80 प्रतिशत अनिवार्य है । इसके साथ ही चयनित विद्यार्थियों को संस्थान की ओर से ड्रेस(यूनीफार्म) और एक समय का भोजन निःशुल्क प्रदाय किया जावेगा ।

पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात् राष्ट्रीय होटल परिषद केटरिंग तकनालॉजी,नोएडा के द्वारा परीक्षण (टेस्ट) किया जावेगा । इस परीक्षण में सफल होने के पश्चात् प्रमाण-पत्र प्रदाय किया जावेगा ।

आवेदन कर्ता चाहें संस्थान के कार्य दिवसो (सोमवार से शुकवार) में सम्पर्क कर सकते हैं अथवा web site www.ihmgwalior.net के द्वारा आवश्यक दस्तावेजों सहित शर्त कर सकते हैं ।

आवश्यक दस्तावेज (संलग्न करे)

- (1) शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र
- (2) जन्मतिथि का प्रमाण पत्र
- (3) आधार कार्ड
- (4) 04(चार) पासपोर्ट साईज के फोटो
- (5) प्रमाणित पता/सम्पर्क हेतू दूरभाष/मोबाईल नम्बर

विशेष :- (1) हुनर से रोजगार तक के निर्देशानुसार मानदेय में परिवर्तन किया जा सकता है ।

(2) इस प्रशिक्षण हेतू केवल वही व्यक्ति आवेदन करे जिसने इससे पूर्व कही भी इस प्रकार के प्रशिक्षण में भाग न लिया हो ।